सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 384 राँची, गुरुवार, 18 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

26 मार्च, 2025

विषयः- राज्य संचालित "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।

ज्ञापांक :-08/म०स० /यो0-260/2024-922--राज्यान्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1406 दिनांक-01.07.2024 सह पठित संकल्प संख्या-1723 दिनांक-29.07.2024, विभागीय पत्रांक-1898 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया, संकल्प संख्या-2204 दिनांक 06.09.2024, संकल्प संख्या-2565 दिनांक-14.10.2024 एवं संकल्प संख्या-3013 दिनांक-02.12.2024 द्वारा **"झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना"** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को माह दिसम्बर, 2024 से प्रतिमाह रूपये 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रू० मात्र) की दर से आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है।

2.विभागीय संकल्प संख्या-1406 दिनांक 01.07.2024 की कंडिका-3 (c) निम्नवत है-

"आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।

3. उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत अब तक कई लाभुकों का बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है। इस कारण बहुत से लाभुकों को योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अतः सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-1406 दिनांक-01.07.2024 के कंडिका-3 (c) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

"आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है उन्हें माह मार्च, 2025 तक योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। माह मार्च, 2025 के पश्चात लाभुकों को केवल आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।"

4. आर्थिक सहायता राशि हेतु उपबंधित राशि मांग संख्या-60, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-796/102/789-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-17-झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के उपयुक्त इकाईयों के अधीन विकलनीय होगा।

5. राज्य संचालित 'झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत राज्यादेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

6. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-25.03.2025 की बैठक के मद संख्या-15 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 384 - 50